कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 3098 /11–सी–FP/UP/Others/30182/2017, लखनऊ, दिनांकः मई 08 ,2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग,
महोबा।

विषयः– जनपद–महोबा में, बांदा–झांसी मार्ग (मिर्जापुर–झांसी मार्ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–76 (एन0एच0–34) के किमी0 सं0–175 के बांयी पटरी पर ग्राम–कबरई के गाटा सं0–1604 पर विकसित किये जा रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.28581 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एव 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा का पत्रांक–5038/33–1, दिनांक 03.05.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में दांयी तरफ का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य प्रमाण पत्रों में बांयी तरफ का उल्लेख है। अतः इस स्थिति को स्पष्ट कर उचित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. पृष्ठ सं0–29 पर संलग्न Area Calculation पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
3. प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन नोट) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4. वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी संयुक्त मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. प्रस्तावित वनभूमि का Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा उक्त के अतिरिक्त के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत 100 वृक्षों के स्थान पर केवल 10 पौधों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है जोकि अपूर्ण है। अतः 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।
9. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
10. एन0पी0वी0 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्वता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
11. इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
12. भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।
13. भारत सरकार के पत्रांक एफ0नं0–11–268/2014–एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
14. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने का प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
15. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
16. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में विजय सागर वन्यजीव विहार स्थित होने का उल्लेख है। अतः यदि प्रस्तावित स्थल Eco Senctive Zone की परिधि के अंदर स्थित है तो राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये पावती सहित एक प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें तथा यदि प्रस्तावित स्थल Eco Senctive Zone की परिधि के बाहर है तो इसकी आवश्यकता नहीं है।
17. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
18. प्रस्ताव की हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक–7(9) में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः ऑनलाइन के अनुसार उचित विवरण अंकित करें।

Acy-1876

19. प्रस्ताव की हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक–10(4) में प्रतिपूरक स्कीम के लिए वित्तीय परिव्यय त्रुटिपूर्ण अंकित की गयी है।

20. प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों में कही पर दांयी पटरी, कहीं पर बांयी पटरी एवं कहीं–कहीं पर RHS एवं बांयी पटरी अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान उचित विवरण सभी प्रमाण पत्रों में अंकित करें।

21. प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ सं0–44, 52, 54 एवं अन्य अधिकांश प्रमाण पत्रों पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

22. प्रभागीय वनाधिकारी के संस्तुति का हिन्दी वर्जन का भाग–2 एवं वन संरक्षक के संस्तुति का हिन्दी वर्जन का भाग–3 ऑनलाइन अपलोड नही है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉं तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
Acy उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–3098/11–सी– FP/UP/Others/30182/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
2. रूप खुल्वे, वाइस प्रेसीडेन्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
Acy उ0प्र0, लखनऊ।